

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 58/2020 राजस्व अपील

1. रामजीलाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।
अपीलान्त

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार सिकराय निर्णय दिनांक 22.07.2020 उनवानी प्रकरण
सरकार बनाम रामजीलाल मु. नं. 69/2020 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक: 11.11.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि भूमि खसरा नं. 364 रकबा 0.08 है। किस्म गौ.मु. रास्ता वाके रामा सिकराय तहसील सिकराय में स्थित है। इस भूमि का स्वरूप रास्ते जैसा नहीं रहा है। अपीलान्त इस भूमि पर बहुत समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार सिकराय ने अपीलान्त के विरुद्ध दिनांक 22.07.2020 को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्त को उक्त अतिक्रमण शुदा कब्जे से बेदखल करने एवं उस पर लगान दर का पचास गुणा शास्ति आरोपित कर अतिक्रमित भूमि को अपीलान्त के कब्जे से मुक्त किये जाने वास्ते मांग कायमी टीआरए बेदखली/फसल नीलामी/वसूली हेतु भू अभिलेख निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जाने एवं अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्त को 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 22.07.2020 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। इस भूमि पर अपीलान्त का कब्जा बहुत समय से चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलान्त इस भूमि का नियमन या अलॉटमेन्ट अपने नाम करवाने का




अतिरिक्त कलक्टर
11.11.2020

अधिकारी है। अपीलान्त द्वारा आरोपित शास्तियों को भी हर वर्ष चुकाया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं करते हुए यह निर्णय पारित किया है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू के अन्तर्गत निर्णय करते हुए यह देखा जाना आवश्यक है कि व्यक्ति का कब्जा कितने समय से चला आ रहा है तथा वर्तमान समय में भूमि का स्वरूप किस प्रकार का है। वर्तमान समय में इस भूमि का स्वरूप गै.मु. रास्ता जैसा नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपीलान्त स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 22.07.2020 मुकदमा नम्बर 69/2020 सरकार बनाम रामजीलाल निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्त ने संवत् 2077 में रामा सिकराय तहसील सिकराय में स्थित गै.मु. रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 364 रकबा 0.08 है। भूमि पर जोत कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त को अतिक्रमित शुदा रकबे से बेदखल कर लगान कायम कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 22.07.2020 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त ने संवत् 2077 में रामा सिकराय तहसील सिकराय में स्थित गै.मु. रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 364 रकबा 0.08 है। भूमि पर जोत कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है एवं अतिक्रमित शुदा भूमि गै. मु. रास्ते की भूमि है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 22.07.2020 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2020 मुकदमा नम्बर 69/2020 सरकार बनाम रामजीलाल यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।





(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा